ISSN No. : 2394-0344 REMARKING : VOL-1 * ISSUE-7*December-2014

छत्तीसगढ़ की तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन नीति

वत्सला मिश्रा
विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा,
बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़)

सारांश

शोधपत्र छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता के संग्रहण एवं विपणन में त्रि–स्तरीय सहकारी समिति की भूमिका प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज तेंदूपत्ता का विपणन छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के माध्यम से वन विभाग द्वारा अग्रिम निवर्तन नीति के अनुसार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता के संग्रहण व विपणन में सहकारी प्रबंधन का उद्देश्य संग्राहकों एवं अंतिम उपभोक्ताओं के बीच से मध्यस्थों को हटाने एवं संग्राहकों को शोषण से बचाने हेतु किया गया है। जिसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य देश के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले तेंदूपत्ता उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का वार्षिक उत्पादन देश के कुल तेंदूपत्ता उत्पादन का 20 प्रतिशत है। स्थानीय स्तर पर बीड़ी उद्योग ना होने के कारण संग्रहित तेंदूपत्ता का निर्यात कर दिया जाता है। ग्रामीणों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से तेंदूपत्ता पर आधारित बीड़ी निर्माण उद्योगों की स्थापना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या को दूर कर वर्ष भर आय एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक उन्नयन हेतु उन क्षेत्रों के प्रचुर वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन, उन्हीं की संलग्नता एवं सहयोग द्वारा सहकारिता के माध्यम से करना आवश्यक है ताकि जनजातियां राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

मुख्य शब्द जनजाति, राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज, तेंदूपत्ता, मौद्रिक आय, रोजगार, सहकारी समिति, लघु एवं कुटीर उद्योग।

प्रस्तावना

भारत में काष्ठ वनोपजों का उनके उच्च वाणिज्यिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वन ह्रास के कारण काष्ठ वनोपजों की विदोहन क्षमता में आने वाली कमी के फलस्वरूप, लघु वनोपज आधारित भारत की परिवर्तित राष्ट्रीय वन नीति (1988) के सूत्रपात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।[1] लंबे समय तक लघु वनोपज अनदेखे रहे हैं तथा उनका देश के राष्ट्रीय लेखांकन में कोई योगदान नहीं था। आज वृहत स्तर पर यह माना जाने लगा है कि काष्ठ वनोपजों की तुलना में अकाष्ठ वनोपजों में जनजातियों एवं गरीब ग्रामीणों हेतु आय एवं रोजगार सृजन की अधिक क्षमता है।[2]

भारत के बहुत से राज्यों में कुछ लघु वनोपजों जैसे–तेन्दूपत्ता, साल बीज, गोंद, हर्रा, महुआ एवं कुछ तैलीय बीज इत्यादि को उनके उच्च आर्थिक महत्व एवं आय अर्जन क्षमता के कारण राष्ट्रीयकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में जनजातियों एवं अन्य ग्रामीणों की संपूर्ण जीवन निर्वहन पद्धति में लघुवनोपजों का महत्वपूर्ण योगदान है। जनजातियां को तेंदूपत्ता से अत्यधिक आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीकृत लघुवनोपजों में तेंदूपत्ता अपने उच्च आर्थिक महत्व तथा आय व रोजगार संभावनाओं के कारण अधिक लाभदायक है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले तेंदूपत्ता उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का वार्षिक उत्पादन देश के कुल तेंदूपत्ता उत्पादन का 20% है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों के विपणन पर राज्य शासन का पूर्ण एकाधिकार है। राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों का विपणन छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के माध्यम से वन विभाग द्वारा अग्रिम निवर्तन नीति के अनुसार किया जाता है। इससे लघुवनोपजों का संग्रहण करने वाली जनजातियों एवं अन्य ग्रामीणों को अपने संग्रहण का जो प्रतिफल केवल पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता था अब लघुवनोपज से प्राप्त आय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित् हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि केवल जीवन निर्वहन हेतु ही पर्याप्त है, सीमांत भूमि, न्यून सिंचाई सुविधा, न्यून उत्पादकता आदि के कारण कृषिकार्य लाभदायक नहीं है। उन्हें कृषि एवं वनों द्वारा

मौसमी रोजगार ही मिलता है। स्थानीय स्तर पर बीड़ी उद्योग ना होने के कारण संग्रहित तेंदूपत्ता का निर्यात कर दिया जाता है। ग्रामीणों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से तेंदूपत्ता पर आधारित बीड़ी निर्माण उद्योगों की स्थापना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर वर्ष भर आय एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

1. Campbell, J.Y.(1996), Putting the people first , Non Timber Forest Products& the challanges of Managing Forest to enhance local Income , Journal of Non Timber Forest Produces Vol.(1-2) 1996 ,PP 102-107
2. Chandra Shekhran(1994),Non Wood Forest Products:A Global View of Potential and Challenges in Proc International Seminar on Management of Non Timber Forest Products1994 PP 13-15 Dehradun ,India

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

नाडकर्णी (1989)[3] अप्पासामी (1993)[4] डी.एन. तिवारी (1995)[5] एस.महालिंगम (1992)[6] के अनुसार जनजातीय अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज जनजातियों की आय एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन्हल एवं रामनारायण (1994)[7] ने पाया ग्रामीणों की मौद्रिक आय में लघुवनोपजों का केंद्रीय स्थान है, उनकी औसत कुल वार्षिक आय का 63 प्रतिशत से 65 प्रतिशत भाग उन्हें वनोपज एवं वानिकी संबंधी गतिविधियों से प्राप्त होता है। मरोठिया एवं गौरहा (1996)[8] ने स्थानीय लोगों के आय एवं रोजगार सृजन हेतु तेंदूपत्ता आधारित उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया। एम.सी. तिवारी (1982)[9] गाडगिल (1983)[10] दासगुप्ता (1995)[11] सी.एल. शर्मा (1983)[12] डी. सुरेश कुमार (2003)[13] के अनुसार वन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से आय एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। गांगुली एवं चौधरी(2003)[14]साव(1994)[15] ने पाया लघु वनोपज जनजातियों हेतु नकद मुद्रा के समान है। हासलकर एवं जाधव (2004)[16] ने पाया सर्वाधिक महिला श्रमषक्ति वनोपज आधारित उपक्रमों में संलग्न है। ज्योतिश सत्यपालन (2005)[17] ने पाया उच्च आय वर्ग वाले परिवारों की तुलना में निम्न आय वर्ग वाले परिवार लघु वनोपजों पर अधिक निर्भर हैं।

उद्देश्य

शोध अध्ययन निम्नांकित उद्देश्यों पर आधारित है।

1. छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
2. छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के विपणन नीति की जानकारी प्राप्त करने हेतु।
3. तेंदूपत्ता संबंधी आय एवं रोजगार संभावनाओं का पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक समंकों पर आधारित है। शोध कार्य से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों का संकलन संबंधित शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिवेदन एवं अभिलेखों से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

छत्तीसगढ राज्य 17.460 से उत्तरी अक्षांश से 24.060 उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर 80.150 से 84.240 पूर्वी देशांतर तक 135133 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ राज्य वनों की दृष्टि से समृद्ध माना जाता हैं, देश के कुल वनक्षेत्र का 12.26% वनक्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं और देश में वह तीसरे स्थान पर हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,133 वर्ग किमी. है एवं इसमें वन का क्षेत्रफल 59772.400 वर्ग किमी. है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44% है।

लघुवनोपज विपणन एवं व्यापार अधिनियम

अविभाजित मध्यप्रदेश में 1964 के पूर्व तेंदूपत्ते के व्यापार पर वनविभाग का नियंत्रण नहीं के बराबर था। जनजातियों और अन्य श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए 1964 में मध्यप्रदेश लघुवनोपज व्यापार एवं विनिमय अधिनियम लागू कर राज्य शासन ने इसके व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया।

मध्यप्रदेश में 1964 से 1979 तक तेंदूपत्ता, गोंद, हर्रा और साल बीज का व्यापार उक्त अधिनियमों के अंतर्गत क्रेता अभिकर्ता प्रणाली से किया जाता रहा हैं। परंतु ग्रामीणों के शोषण एवं कालेबाजार की गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं राज्य सरकार को राजस्व की हानि के कारण 1980 से एक मुश्त प्रणाली लागू किया गया जिसके तहत तेंदूपत्ता व्यवसाय में किसी विशिष्ट इकाई के संग्रहण के लिए इच्छुक क्रेता एक निश्चित धनराशि देकर ठेका प्राप्त कर सकता था। यद्यपि इस प्रणाली से शासन की आय में वृद्धि तो हुई परंतु इकाई के क्रेता अपने कमीशन एजेण्टों (प्रतिनिधियों) के माध्यम से तेंदूपत्ता खरीदी कार्य करवाता था। इस प्रकार तेंदूपत्ता के व्यापारियों द्वारा श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रही।

इसी परिप्रेक्ष्य में जून 1988 में मध्यप्रदेश शासन ने लघु वनोपज के व्यापार से बिचौलियों को हटाने हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद के सहकारी प्रबंधन हेतु एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन से लगभग 1500 निजी व्यापारियों और बिचौलियों को पूरी तरह से हटा दिया गया।

सहकारीकरण की त्रिस्तरीय प्रणाली

उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा निर्धारित किया गया –

प्रथम स्तर पर –केवल संग्रहणकर्ताओं की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां।

द्वितीय स्तर पर– जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला सहकारी समिति।

तृतीय अंतिम शीर्ष स्तर पर– अपेक्स स्तर की शीर्षस्थ संस्था छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ।

छत्तीसगढ़ में इन लघुवनोपजों का विपणन राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी विपणन संघ, जिला स्तर पर जिला लघुवनोपज सहकारी समिति एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति के द्वारा वन विभाग के माध्यम से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन नीति

तेंदूपत्ता का संग्रहण

छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में तेंदूपत्ता संग्रहण का मौसम जल्दी प्रारंभ हो जाता है। तेंदू पत्ते का संग्रहण अप्रैल से जून महीने में जब कृषि कार्य बंद होता है किया जाता है, जो उनकी आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। छत्तीसगढ़ में एक मानक बोरा तेंदूपत्ता 1000 गड्डी

है, जिसकी प्रति गड्डी में 50 पत्ते होते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के संग्रहण का मौसम अप्रैल के तृतीय सप्ताह से मई के अंतिम सप्ताह तक होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के अनुसार राज्य के वन विभागों से लगभग 1.64 मिलियन मानक बोरे तेंदूपत्ते का उत्पादन एवं राज्य लघुवनोपज संघ की 915 प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियो के 10,000 संग्रहण केंद्रों में 750000 मानक बोरे तेंदूपत्ते का संग्रहण किया जाता है। प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियो के 13,76000 वनवासी परिवारों की लघुवनोपज संग्रहण में सक्रिय भागीदारी है। राज्य में तेंदूपत्ते का अनुमानित वार्षिक व्यापार 161 करोड़ रु.है।

तेंदूपत्ता विपणन नीति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2004 में तेंदूपत्ते की संग्रहण एवं विपणन नीति में परिवर्तन किया गया है। वर्तमाान में राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों के विपणन पर राज्य शासन का पूर्ण एकाधिकार है। छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के माध्यम से वन विभाग द्वारा अग्रिम निवर्तन नीति के अनुसार, प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियों में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते का, संग्रहण से पूर्व अग्रिम बिक्री, विज्ञप्ति/निविदा/नीलामी पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्य शासन का एकाधिकार होने के कारण लघुवनोपज संग्राहकों को निर्धारित दर पर भुगतान करती है।

जिसके अनुसार तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन निम्नानुसार होता है।

1. समस्त संग्रहण केन्द्र विभिन्न इकाईयों (फड़ों) में विभाजित कर दी जाती है।
2. इन इकाईयों में अग्रिम बिक्री विज्ञप्ति/निविदा/नीलामी पद्धति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा की जाती है।
3. तेंदूपत्ते के संग्रहण से लेकर विपणन तक विभिन्न क्रियाओं हेतु वित्त की व्यवस्था राज्य स्तर पर, राज्य लघुवनोपज संघ एवं जिला लघुवनोपज सहकारी समिति द्वारा प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति को उपलब्ध कराया जाता है।
4. प्रत्येक संग्राहक के पास एक संग्राहक कार्ड होता है। प्रतिदिन का संग्रहण संग्राहकों द्वारा प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति के फड़ मुंशी के पास जमा किया जाता है जिसकी कार्ड में एंट्री की जाती है एवं संग्रहण मूल्य का भुगतान प्रति सप्ताह किया जाता है।
5. सहकारी समितियों में संग्रहित होने वाले पत्तों के क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता द्वारा चार समान किश्तों में फड़ में ही किया जाता है।
6. समस्त संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) में बिक्री पूर्व तेंदूपत्ते के प्रसंस्करण, भण्डारण का कार्य अग्रिम रूप से कर लिया जाता है।
7. हरे तेंदूपत्ते समस्त संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। परिवहन की व्यवस्था लघुवनोपज संघ द्वारा की जाती है।
8. क्रेता द्वारा समझौता राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा जमा, न्यूनतम 10 प्रतिशत नकद एवं शेष बैंक गारंटी के रूप में जमा करता है।
9. जिला प्रशासन पूर्ण रूप से संग्रहण कार्य में संलग्न रहता है।
10. तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं विपणन
11. तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन संबंधी विगत 14 वर्षों की जानकारी तालिका क्र 1.1 द्वारा प्रस्तुत है।

वर्ष	संग्रहित मात्रा (लाख मानक बोरे में)	संग्रहण पारिश्रमिक (करोड़ रूपये में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
2001	16.67	75.53	165.22
2002	19.58	88.92	198.71
2003	18.12	82.18	173.25
2004	18.86	48.92	148.50
2005	14.92	67.17	135.06
2006	14.72	66.31	140.02
2007	17.18	85.96	325.59
2008	13.79	82.77	197.61
2009	14.67	95.33	256.41
2010	15.45	108.15	335.30
2011	13.7	108.52	355.31
2012	17.15	188.6	646.90
2013	14.71	176.70	346.69
2014	16.44	197.26	336.40

स्त्रोत–छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ

शासन द्वारा 2004 में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 450 रूपये से बढ़ाकर 2014 में 1200 रूपये किया गया है। अर्थात् तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ का 70 प्रतिशत प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, तेंदूपत्ता व्यापार नीति में परिवर्तन के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं तेंदूपत्ता संग्राहकों के लाभों में वृद्धि हुई है।

लाभ का वितरण

तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ का वितरण निम्नानुसार होता है।

1. लाभ का 70 प्रतिशत प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया जाता है।
2. लाभ का 15 प्रतिशत ग्राम के संसाधन विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
3. लाभ का 15 प्रतिशत वन एवं वनोपजों के विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों की कर संरचना

राज्य में तेंदूपत्ता, पर वन विकास कर 3 प्रतिशत वन विकास समिति एवं विक्रय मूल्य पर मूल्य वर्द्धित कर 25 प्रतिशत , आयकर 5 प्रतिशत तथा आयकर पर अधिभार की दर 10 प्रतिशत /2.5 प्रतिशत है। राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों के विपणन हेतु वित्त की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाती है। वर्ष 1985 से शासन द्वारा वनोपजों के निर्यात पर रायल्टी समाप्त कर दी गई है किंतु निर्यात हेतु वन विभाग द्वारा जारी निर्यात पारगमन परिपत्र की बाध्यता आज भी है।

संस्थागत प्रबंधन एवं नीतियां

शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। मुखिया की साधारण मृत्यु पर 30 हजार रूपये, आंशिक विकलांगता पर

37 हजार 500 रूपये, पूर्ण विकलांगता एवं दुर्घटना मृत्यु पर 75 हजार रूपये का बीमा लाभ दिया जाएगा। 2013–14 में 2139 लोगों को 4 करोड़ 76 लाख रूपये के बीमा दावे का भुगतान किया गया।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वर्ष 2011 से शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एल. एल. बी. आदि व्यावसायिक शिक्षा के लिए 25 हजार रूपये की आर्थिक मदद की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति स्तर पर विद्यार्थियों का चयन शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2012–13 में 93 हजार 703 विद्यार्थियों को 11.33 करोड़ रूपये का छात्रवृत्ति भुगतान किया गया। चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में सुविधा हेतु, संग्राहक परिवारों के एक सदस्य को चरण पादुका प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

राष्ट्रीयकृत लघुवनोपज तेन्दूपत्ता ग्रामीणों एवं जनजातीय परिवारों की मौद्रिक आय का प्रमुख साधन है। तेन्दूपत्ता के विपणन हेतु छत्तीसगढ़ में सहकारिता के त्रिस्तरीय ढांचे की संगठित व्यवस्था के कारण तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अन्य लघुवनोपज संग्राहकों की तरह शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता है। संग्राहकों एवं अंतिम उपभोक्ताओं के बीच से मध्यस्थों को हटाने हेतु त्रिस्तरीय सहकारी समिति के गठन की ठोस शासकीय नीति के कारण छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता के विपणन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं।

शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना, शिक्षा सहयोग योजना एवं चरण पादुका योजना का प्रारंभ प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान शासन की अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जो ग्रामीणों एवं जनजातीय परिवारों के समाजिक आर्थिक विकास हेतु लाभ दायक हैं।

राज्य में चूंकि तेन्दूपत्ता प्राकृतिक रूप में उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। यहां का अधिकांश तेंदूपत्ता दूसरे राज्यों में निर्यात हो जाता है, यथा संभव कच्चे माल के रूप में लघुवनोपज को प्रदेश के बाहर न भेजते हुए स्थानीय स्तर पर ही इनका प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन करना चाहिए। तेंदूपत्ते के समुचित संरक्षण, एवं विनाश विहीन विदोहन से स्थानीय निवासियों को एक सतत् आय का साधन उपलब्ध हो सकता है। ग्रामीणों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से स्थानीय रुप से उपलब्ध तेंदूपत्ते पर आधारित बीड़ी निर्माण उद्योग स्थापित किया जाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक उन्नयन एवं समाजिक विकास के लिए लघु वनोपज आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। जिसके लिए इन क्षेत्रों के प्रचुर वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन, सहकारिता के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

References

1. Campbell, J.Y.(1996), Putting the people first , Non Timber Forest Products& the challanges of Managing Forest to enhance local Income , Journal of Non Timber Forest Produces Vol.(1-2) 1996 ,PP 102-107
2. Chandra Shekhran(1994),Non Wood Forest Products:A Global View of Potential and Challenges in Proc International Seminar on Management of Non Timber Forest Products1994 PP 13-15 Dehradun ,India
3. AppasamyP.P.(1993) Role of Non Timber Forest Products in Subsistence Economy:A case of Joint Forestry Project in India, Economic Botany,1993 -Vol. (47) No.(3)pp.258-267
4. NadkarniM.V.,L.S.P.Rao& S.A.Pasha(1989) PoliticalEconomyof Forest Use and Management, Sage Publications India,New Delhi
5. D.N.Tiwari (1996) Tribals dependency on forest – A. PhD Thesis (Spe. Ref to bastar Distt.) 1996 P.137-138.
6. Mahalingum S.(1992) Institutional support For Marketing of Minor Forest Products in India, Indian Journal of Agricultural Marketing 1992 Vol. (6) No.(2) PP. 77
7. Kinhal G.A and K. Ram Narayan(1994) Tribal Dependence On Forest Case Studies from Rajasthan, Journal Of Rural Development,1994 Vol. 13 No,(4) PP. 527-536
8. Marothia D.K. and A.K. Gauraha(1992) Marketing of Denationalised MFP in Tribal Economy. Indian Journal of Agricultural Marketing 1992 , Vol. (6) No.(2) P.P 85
9. Tiwari M.C.(1982). Forest and Rural Industries, khadi gramodhyog October. 1982. Vol 29 No.(1)
10. Gadgil Mahadeo(1983) Forest Management and Forest Policy in India:A critical Reiew, Social Action Vol 33 No.(2)April-June 1983pp.127-155
11. Dasgupta Malvika(1986) Forestry Development North East in India
Thomson Publication New Delhi,1986
12. Sharma C.L (1983). Industrial Potentialities of a Tribal area, Khadi Gramodhyog Vol. 9 No. 11 August -1983 PP-772-779.
13. Kumar D. Suresh and C. Ramasamy(2003) Modeling Household economy of Agroforestry Based Resources Poor Farmers : A Case of Silvipastoral System
Indian Journal Of Agricultural Economics Oct – Dec. 2003. Vol. (55) No.(4)
PP. 669-694
14. Ganguly B.K. and Kalpana Choudhary (2003) Forest Products Of Bastar – A Story Of Tribal Exploitation, Economic and Political Weekly July 12,2003
Vol. 38 No. 28 PP. 2985-2989
15. Sao C.L. (1994) Collection, Distribution, Market Management, Regulation & Finance system of MFPs in Madhya Pradesh, Indian Journal of Agricultural Marketing ,April – June 1994 . Vol (37) No. (1) PP – 2-11
16. Hasalkar Suma , Veena Jadhav (2004) Role Of Women in the Use of Non Timber Forest Produce – A Review, Journal of Social Sciences , 2004 Vol. – 8 No.(3) P. 203 – 206
17. SathyaPalana Jyothis(2005) Household's Dependence on protected forest evidence from the western ghats,Indian Journal of Agricultural Economics
Jan-March 2005 Vol.60 No.(1) P.P. 60-70